



NOVA
IRON & STEEL LTD.

CIN : L02710CT1989 PLC010052

F-Block, 1st Floor, International Trade Tower, Nehru Place,
New Delhi-110019 INDIA Tel.: +91-11-30451000 Fax: +91-11-23712737

Email : rai_nisl2007@yahoo.com, www.novaironsteel.com

SPEED POST / BY HAND/EMAIL

Ref. No.: NISL/SE/2022-23

Dated : 07/04/2022

The Secretary
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroz Jeejeebhoy Towers,
25th Floor, Dalal Street,
MUMBAI 400 001

Subject: Publication of Notice of Extraordinary General Meeting, E-voting and Book Closure

Ref: Regulation 47(d) of SEBI (LODR) Regulations, 2015

Dear Sir,

It is informed that Pursuant to Regulation 47(d) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice for holding Extraordinary General Meeting, E-voting information and Book Closure, has been published in 'Financial Express' an English National Daily, on 06/04/2022 'Jansatta', a Hindi National Daily on 07/04/2022 and 'Samvet Shikhar', a regional daily on 06/04/2022.

Copies of said published notice are enclosed for your record. This is for your information.

Thanking you

Yours faithfully

For Nova Iron & Steel Limited

(Dheeraj Kumar)

Company Secretary

Encl:a/a

सड़क पार कर रही तीन छात्राओं को कार ने मारी टक्कर पीछे से आ रहे ट्रक से कुचल कर एक छात्रा की मौत

पीछे से आ रहे ट्रक से कुचल कर एक छात्रा की मौत

जन्मान संबंदात नई दिल्ली, 6 अप्रैल।

परिवार विचार देकर साना क्षेत्र में बुधवार सुबह स्कूल जाने के दौरान सड़क पार कर रही छात्राओं को एक कार चालक ने टक्कर मार दी। इसी वजह पीछे से मिलते-जुलते दो सड़क दुर्घटनाएं घटीं। एक छात्रा को कुचल दिया, जिससे शरीर में गंभीर चोटें लगीं। दूसरी छात्रा को भी गंभीर चोटें लगीं। उन्होंने आठ से दस को सड़क पार करके ट्रेक्टर रोड की ओर भाग लिया। ट्रक के बाद पहुंची पुलिस ने इसी तरह सड़क-दुर्घटनाओं की जांच में मदद की। छात्राओं का परिवार घटना स्थल पर पहुंचा और विचार देकर, आरोपियों को गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग कर रहा है। हादसे के बाद कार चालक को पीछे से आ रहे गाड़ी, जल्दी ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

कार चालक को पुलिस कर रही तलाश
पुलिस ने बताया कि हादसे में संलग्न दो गाड़ी पर अज्ञात दर्ज से अधिक बोट आई है। जल्दया की भी तलाश की जा रही है। पुलिस को सुबह 8-08 बजे हादसे की सूचना मिली। पुलिस मिलने के बाद पुलिस टीम मोटर पर पहुंची। पुलिस को घटनास्थल से एक ही ट्रेक्टर रोड देखा गया है। उसके आसपास पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी चालक की पहचान कर ली गई है और उसकी तलाश में टीम समर्थित दिवंगन पर छापामारी कर रही है।

पर से मकस 500 मीटर की दूरी पर है। स्कूल और वापसी के बीच रोडकट रोड है। इस रोड की पार करने के लिए सड़क की ओर से न तो कोई सिग्नल फलत मान्यमाना है और न कोई ट्रैफिक लाइट है। इस कारण वक्तव्य में पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर नहीं जाया जा रहा है कि घटनास्थल पर पहुंचने के बाद तीनों ने सड़क के केरिडोर को पार कर लिया। इसके बाद रेलिंग में घुसकर दूसरी सड़क पर आ गई। इसी दौरान आसपास से दो तेज गतिवाहन कार उनकी ओर आने लगीं। छात्राओं को देखकर एक कार चालक ने एक तत्काव कार को रफ्तार धीमी कर ली।

जन्मान (18) के रूप में हुई है। दोनों का परिवार में इलाज चल रहा है। बाहरी जिला पुलिस प्राणिक समीर साना कि बताया कि घटना स्थल पर जाकर जांच में रहने वाली तीन छात्राएं सिरदार, रोडकट रोड को कुचल जाने के लिए पार कर रही थीं, तभी यह हादसा हुआ। तीनों छात्राएं उधारा विहार के सौंदर्यक विद्यालय में 12वीं कक्षा की छात्रा हैं। संलग्न के विचार दिवंगन ने बताया कि स्कूल

जन्मान संबंदात नई दिल्ली, 6 अप्रैल।
इस बीच पहली कार को ओवरटेक करने के बाद दूसरी कार ने तीनों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद भी कि साना और कर्मण सड़क के एक ओर गिरी, जबकि मंगेश सड़क के बीच में पड़ा। इस दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया। हादसे के बाद मोटर पर नीचे गिरा और सड़क की जानकार पुलिस को दे दी।

कहीं बस में तो कहीं घर में लगी आग

जन्मान संबंदात नई दिल्ली, 6 अप्रैल।

राजधानी के अलग-अलग इलाकों में बुधवार को आग लग गई। सुबह के वक्त बादली धुंधले-धुंधले दिखने एक मकान में भीषण आग लग गई। वहीं दोपहर में महिपालपुर में पतली दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस में आग लगी। गनीमत तो कि दोनों ही हादसों में कोई हानाहत नहीं हुआ है।

सड़क किनारे स्थित दो दुकानों में भी चपेट में आ गई। घटना की सूचना मिलने पर दो दमकल कर्मियों ने कई मिनटों तक आग पर कायू पाया।
प्राथमिक जांच में पता चला है कि इनमें गम हो जाने से शार्ट-सर्किट होने के कारण बस में आग लगी। हादसे के वक्त बस में कोई सवार नहीं था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बस और दुकानों में लगी आग के कारण काफी देर तक धुआं उठता रहा। आग की लपटों की धुंध में घटनास्थल पर प्रथम स्थल एक चाय व एक कुलर की दुकान थी आ गई। चाय की दुकान में एलपीजी सिलेंडर फट गया। वहीं, कुलर की दुकान में काफी नुकसान हुआ। हादसे में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ।

वहीं बादली एक्सटेंशन इलाके में बुधवार को एक मकान में आग लग गई, जिसके बाद आठ लोगों को सुरक्षित गिराया जा सका। जिनमें चूना लाल (58), इसकी पत्नी भावती (55), केटा नाना (26), विकास (27), सुमित (32), इसकी पत्नी अंजलि (30), वैदियायाम (8) और पुत्र (3) शामिल हैं।
दिल्ली दमकल सेवा के निदेशक अतुल गाने ने बताया कि आग लगने की सूचना सुबह 5:50 बजे मिली थी, जिसके बाद दमकल को तीन गाड़ियों को नीके पर भेजा गया। उन्होंने कहा कि आग पर कायू पा लिया गया है और प्रतीत अग्निवामन पातू है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

एनडीएमसी ने रमजान पर जारी आदेश वापस लिया कर्मचारियों को समय से पहले दफ्तर से जाने की इजाजत नहीं

जन्मान संबंदात नई दिल्ली, 6 अप्रैल।

नई दिल्ली कार पुलिस परिषद (एनडीएमसी) ने बुधवार को अपना बड़े आदेश वापस ले लिया, जिससे कहा गया कि रमजान के दौरान रोज रात के बाद मुस्लिम कर्मचारियों को समय से पहले दफ्तर से जाने की इजाजत दी गई थी।

एनडीएमसी के उपचारक सचिव उषाग्राम ने मंगलवार को जारी इस आदेश का एक चर्चा करते हुए बताया कि यह इस तरह का कोई निर्देश भंगितरिच्छ नहीं है। उन्होंने जारी किए हुए नए विचारों में कहा कि यह आदेश तीन अंशों से दो चर्चा कर रहा होगा। पर बुधवार को जारी एक आधिकारिक परिषद में कहा गया कि समय प्राथिकता में इस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का फैसला किया है।

जन्मान देने याता आदेश भंगन वापस लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह इस तरह के आदेश के बाद में जारी नहीं जाते थे और जैसी ही बस में उन्हें पता चला। उन्होंने इस तरह के गैर भंगितरिच्छ आदेश का विरोध किया।
बुधवार ईडि प्रोट के अंतर्गत एनडीएमसी अध्यक्ष व राष्ट्रीय विद्यमान प्रमुख जयपाल ने बुधवार को कहा कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को आदेश रमजान के महीने में रोजाना दो घंटे को घुटने देने के निर्णय वापस लेना अचानक हादसा है। यह सुबह है कि इस निर्देश के बाद किया गया। उन्होंने कहा कि नगरपालिका में समय पर 2.5 फीसद घट कर चोपेगा को भी दिल्ली सरकार को वापस ले लेना चाहिए।

पेड़ों की रक्षा करने की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता : दिल्ली हाईकोर्ट

जन्मान संबंदात नई दिल्ली, 6 अप्रैल।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार निर्णय विचार (पीएनडीटी) के दो बर्षिक अधिनियमों को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

दिल्ली में कोविड-19 के 126 मामले, एक की मौत

जन्मान संबंदात नई दिल्ली, 6 अप्रैल।

दिल्ली में बुधवार को कोरोना के मामले में अधिक वृद्धि हुई है। न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

दिल्ली में बुधवार को कोरोना के मामले में अधिक वृद्धि हुई है। न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

आपत्तय नगर निगम
नई दिल्ली, 6 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार निर्णय विचार (पीएनडीटी) के दो बर्षिक अधिनियमों को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

पंजाब नेशनल बैंक
नई दिल्ली, 6 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार निर्णय विचार (पीएनडीटी) के दो बर्षिक अधिनियमों को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

जन्मान संबंदात नई दिल्ली, 6 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार निर्णय विचार (पीएनडीटी) के दो बर्षिक अधिनियमों को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

पंजाब नेशनल बैंक
नई दिल्ली, 6 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार निर्णय विचार (पीएनडीटी) के दो बर्षिक अधिनियमों को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

जन्मान संबंदात नई दिल्ली, 6 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार निर्णय विचार (पीएनडीटी) के दो बर्षिक अधिनियमों को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

जन्मान संबंदात नई दिल्ली, 6 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार निर्णय विचार (पीएनडीटी) के दो बर्षिक अधिनियमों को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

पंजाब नेशनल बैंक
नई दिल्ली, 6 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार निर्णय विचार (पीएनडीटी) के दो बर्षिक अधिनियमों को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

जन्मान संबंदात नई दिल्ली, 6 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार निर्णय विचार (पीएनडीटी) के दो बर्षिक अधिनियमों को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

जन्मान संबंदात नई दिल्ली, 6 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार निर्णय विचार (पीएनडीटी) के दो बर्षिक अधिनियमों को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

पंजाब नेशनल बैंक
नई दिल्ली, 6 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार निर्णय विचार (पीएनडीटी) के दो बर्षिक अधिनियमों को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

जन्मान संबंदात नई दिल्ली, 6 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार निर्णय विचार (पीएनडीटी) के दो बर्षिक अधिनियमों को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

जन्मान संबंदात नई दिल्ली, 6 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार निर्णय विचार (पीएनडीटी) के दो बर्षिक अधिनियमों को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

जन्मान संबंदात नई दिल्ली, 6 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार निर्णय विचार (पीएनडीटी) के दो बर्षिक अधिनियमों को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

पंजाब नेशनल बैंक
नई दिल्ली, 6 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार निर्णय विचार (पीएनडीटी) के दो बर्षिक अधिनियमों को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

जन्मान संबंदात नई दिल्ली, 6 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार निर्णय विचार (पीएनडीटी) के दो बर्षिक अधिनियमों को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

जन्मान संबंदात नई दिल्ली, 6 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार निर्णय विचार (पीएनडीटी) के दो बर्षिक अधिनियमों को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

जन्मान संबंदात नई दिल्ली, 6 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार निर्णय विचार (पीएनडीटी) के दो बर्षिक अधिनियमों को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

पंजाब नेशनल बैंक
नई दिल्ली, 6 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार निर्णय विचार (पीएनडीटी) के दो बर्षिक अधिनियमों को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

जन्मान संबंदात नई दिल्ली, 6 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार निर्णय विचार (पीएनडीटी) के दो बर्षिक अधिनियमों को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

जन्मान संबंदात नई दिल्ली, 6 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार निर्णय विचार (पीएनडीटी) के दो बर्षिक अधिनियमों को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

जन्मान संबंदात नई दिल्ली, 6 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार निर्णय विचार (पीएनडीटी) के दो बर्षिक अधिनियमों को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीशों को रक्षा करने के लिए अधिनियमों का अमल करना का संवैधानिक अधिकार है।

